XIV-Form No. 563.

ग की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07.10.2011		

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व अपील वाद संख्या–119/03

धारा–48 (एफ) बी0 टी0 एक्ट अन्तर्गत

मो0 मोजीबुर रहमान, पिता– स्व0 हबीबुर रहमान, साकिन– चाँदभाटी, थाना– डगरूवा, जिला– पूर्णियाँ..... आवेदक

बनाम

मो0 अब्दुल रज्जाक एवं अन्य..... प्रतिवादी प्रथम पक्ष

मो0 जीमल अहमद एवं अन्य..... प्रतिवादी द्वितीय पक्ष

सभी का साकिन– चाँदभाटी, थाना–डगरूवा, जिला– पूर्णियाँ

आदेश

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बायसी द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–01/02–03 में दिनांक 07.07.2003 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष के दादा प्रश्नगत जमीन मौजा– तमौत, खाता नं0–766, सिकमी खाता नं0–33, खेसरा नं0–773, 774 एवं 775 रकवा–0.29 डिसमील जमीन के सिकमीदार थे तथा सर्वे खतियान में खेसरा नं0–773 मकानमय सहन दर्ज है। प्रश्नगत जमीन में प्रतिवादी प्रथम पक्ष खेती कर रहा है।

आवेदक ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पिता– कुर्वान अली से खेसरा नं0–774 एवं 775 से क्रमशः 3–3 डिसमिल कुल 6 डिसमिल खरीदा था और उक्त जमीन पर दखलकार भी हैं। चकबन्दी कार्यालय के अभिलेख में भी आवेदक द्वारा खरीदा गया जमीन मकानमय सहज दर्ज है।

आवेदक का कथन है कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा शेष जमीन 29 डिसमिल को अपने परिवार के बीच बंटवारा कर लिया और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के जमीन अहमद एवं अजीज अहमद, पिता–शेख लताफत हुसैन ने प्रश्नगत जमीन का 17/1/2 डिसमिल जमीन 19.06.1999 को आवेदक के हाथ बेच दिया। आवेदक खरीदे गये जमीन का नामान्तरण करवाने के बाद दखलकार भी हो गया। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा वाद सं0–01/02–03 में दिनांक 07.07.2003 को पारित आदेश द्वारा अंचलाधिकारी, बायसी को निर्देशित किया गया कि भूस्वामी से कायमी हक के लिए 24 गुणा समानुपातिक लगान जमा करवा लिया जाय।

अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख को मंगवाकर एवं आवेदक के पक्ष को सुनकर भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष का कथन है कि यह अपील वाद नीतिगत नहीं है। आवेदक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस धारा के अन्तर्गत यह अपील किया गया है।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष प्रश्नगत जमीन के वास्तविक सिकमीदार शेख सैयद अली का

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पोता (Grand Son) है। वास्तविक सिकमीदार की मृत्यु लगभग 36 वर्ष पूर्व हो चुकी है तदपुरांत 02 वर्ष के बाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पिता शेख कुर्बान अली की भी मृत्यु हो गयी। इसके बाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष सिकमी हक के दावेदार बने। प्रश्नगत जमीन का खेसरा–773, रकवा–14 डिसमिल मकानमय सहन दर्ज है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष वास्तविक भूस्वामी लताफत हुसैन का कानूनी वारिस है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष के प्रथम पक्ष ने सिकमी हक के लिए अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व के न्यायालय में धारा–48 'डी' के अन्तर्गत वाद संख्या–7/99–2000 दायर किया था, जिसके विरूद्ध वर्त्तमान अपील के आवेदक ने अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी के न्यायालय में अपील वाद संख्या–06/2000–01 दाखिल किया था, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में धारा–48 (एफ) बी0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत वाद दायर करने का निर्देश दिया गया। फलस्वरूप प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद संख्या–01/02–03 दायर किया।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष का कथन है कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश तथ्य के अनुकूल है। अतः आवेदक के इस अपील को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 01.04.2011 को सुनवाई की गयी। विपक्षी सुनवाई के क्रम में अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी कई तिथियों में हाजरी देने के बाद भी न्यायालय में अनुपस्थित रहे। सुनवाई में उपस्थित रहने का अंतिम मौका दिनांक 11.03.2011 को देने के बाद भी विपक्षी हाजरी देकर पुनः सुनवाई के दिन अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा इस वाद के निष्पादन में कोई रूचि नहीं बल्कि अविलम्ब करने की मंशा से वे अनुपस्थित रह रहे है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा बताया गया कि विवादित जमीन मकानमय सहन है, इसलिये इसपर B.T. Act की धारा 48 (F) लागू नहीं होता है। निम्न न्यायालय में समझौता परिषद के द्वारा किसी तरह की समझौता के लिये कारगर प्रयास नहीं किया गयां निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने की मांग की गयीं

पुनः दिनांक 07.10.2011 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई के आलोक में स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज किया जाता है। तदनुसार अपीलकर्त्ता के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। इस निर्णय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ